संख्या-07/2024/ 553/001-20232024-74-2002-002-01-2021

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2024

विषयः- 03-रेशम निदेशालय योजना (पूँजीगत) के अन्तर्गत 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में हो रही सम्भावित बचत से 14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-300-1/सेरी0/लेखा/बजट पुनर्विनियोग/ 2023-24, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत संचालित-03-रेशम निदेशालय योजना (पूँजीगत) के मद संख्या-26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख में हो रही सम्भावित बचत की धनराशि का पुनर्विनियोग करते हुए 14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्रतिस्थापन के रूप में 02 नये वाहन क्रय करने हेतु राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- वित्तीय वर्ष 2023-24 प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। उक्त के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार सुनिश्चिगत कर लिया जायेगा।

5- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, रेशम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

7- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 4851001070300 रेशम निदेशालय **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **आर.ई.संख्या–बजट-1-793 दिनाँक 23.03.2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-7/2024/ 553/001-20232024-74-2002-002-01-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।